# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—386/2016/223 (2016/00386)**

1. सुलतान पुत्र दौला,
2. श्रीमती नैनी पत्नि दाऊसिंह,

समस्त जाति मेहरात, निवासी ग्राम रामपुरा गूंदा का बाला पटवार क्षैत्र मालपुरा, पोस्ट नरबद खेडा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

**अपीलांटस**

**बनाम**

1. श्रीमती धापू पत्नि अकबर, जाति मेहरात, निवासी ग्राम रामपुरा गूंदा का बाला, पटवार क्षैत्र मालपुरा पोस्ट नरबदखेडा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर.
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

**रेस्पोडेंटस**

**अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 20.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 172/2011.**

**उपस्थितः—**

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस।
2. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2.

## निर्णय

**दिनांकः— 8.8.2019**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 188 व 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा रामपुरा गुन्दा का बाला पटवार क्षेत्र मालपुरा, तह0 ब्यावर में खसरा नंबर 580 रकबा 2—7—10, खसरा नंबर 588 रकबा 3—5—00, खसरा नंबर 589/1 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 589/2 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 590 रकबा 2 बिस्वा स्थित है। उपरोक्त भूमियों में वादिया का 1/6 हिससा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 5/6 हिस्सा चला आ रहा है, वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त भूमियों के संयुक्त खातेदार काश्तकार है । संयुक्त खाते में होने के कारण वादिया की वृद्धावस्था का लाभ उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आये दिन वादिया से लड़ाई झगड़ा करते है व वादिया की संयुक्त खातेदारी भूमियों में काश्त करने से उसे रोकते है । अतः वाद स्वीकार कर वादिया को 1/6 हिस्से अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन

किया जाकर खेत का अलग से नंबर व मिन नंबर डाले जाकर अलग से खाता कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे तथा 10,000/—रू0 वार्षिक मुआवजा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से दिलाया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री 20.6.2016 द्वारा वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंट संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वादिया की साक्ष्य ग्रहण करने के बाद प्रकरण वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु दिनांक 24.2.2015 को नियत किया गया था । दिनांक 13.1.2016 को प्रतिवादी/अपीलांट संख्या 1 द्वारा साक्ष्य बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति अभिभाषक वादिया को प्रदान की गई तत्पश्चात् आगामी पेशी दिनांक 24.2.2016 को अभिभाषक वादिया द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य से जिरह हेतु समय लिया गया तत्पश्चात् दिनांक 28.3.2016 को पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त रहे एवं पत्रावली दिनांक 19.7.2016 को पेश होने बाबत् आदेशिका अंकित की गई थी किन्तु दिनांक 19.7.2016 से पूर्व ही पत्रावली दिनांक 6.6.2016 को पुटअप कर कैम्प मालपुरा में दिनांक 20.6.2016 रखे जाने के आदेश पारित कर दिये लेकिन प्रतिवादीगण/अपीलांटस को इस बाबत् कोई नोटिस जारी नहीं किये गये । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने पत्रावली को कैम्प कोर्ट में दिनांक 20.6.2016 को प्रतिवादीगण/अपीलांटस की जिरह किए बिना वाद स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित कर दी । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने आदेश 14, 18 व 20 जा0दी0 के प्रावधानों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । वादग्रस्त आराजियात के श्रीमती केली, श्रीमती सलीमा, श्रीमती सीता पुत्री मालाजी एवं अहमद व नारू पुत्रान प्रताप एवं श्रीमती शकीना पत्नि प्रताप रिकार्डेड सह—खातेदार थे जिनके द्वारा वादग्रस्त आराजियात बाबत् एक इकरारनामा दिनांक 7.12.2000 को मुबलिग 1,85,000/—रू0 रूगरू गवाहान किशन पुत्र देवी जाति मेहरात एवं तेजा उर्फ त्रिलोक पुत्र रहीमा के समक्ष प्रतिफल राशि प्राप्त कर सुलतान पुत्र दोला व दाऊसिंह पुत्र देवी जाति मेहरात के हक में निष्पादित कर दिया था । उक्त इकरारनामे पर वादिया के पति अकबर पुत्र करमा के बतौर गवाह हस्ताक्षर अंकित है अर्थात् उक्त अर्थात् वादिया के पति अकबर को उक्त इकरारनामे की पूर्ण जानकारी थी इसके बावजूद वादिया द्वारा वाद पेश किया गया है जो संधारण योग्य नहीं था । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को नजरअदांज किया है । बहस में आगे कथन किया कि उक्त इकरारनामा दिनांक 7.12.2000 में बरवक्त पंजीकरण कब्जा प्रदान करने बाबत् अंकन किया गया । उक्त इकरारनामे में विक्रेतागण की पहचान वादिया के प्रति अकबर पुत्र करमा द्वारा की गई थी एवं बहैसियत कालू पुत्र बिरदा के साथ अकबर द्वारा भी अंकित किए गए । तत्पश्चात् दिनांक 13.12.2002 को वादग्रस्त आराजियात का पंजीकृत विक्रय पत्र सुलातन पुत्र दौला एवं श्रीमती नैनी पत्नि दाउ अपीलांट के हक में निष्पादित किया जाकर कब्जा व दखल संपूर्ण आराजियात का प्रदान कर दिया गया लेकिन बरवक्त

पंजीकरण विक्रय पत्र सलीमा पुत्री मालाजी अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 13.12.2002 को ही श्रीमती केली, श्रीमती सीता पुत्रिया माला एवं अहमद व नारू पुत्रान प्रताप तथा श्रीमती सकीना पत्नि प्रताप व वादिया के पति अकबर द्वारा एक इकरारनामा वर्तमान अपीलांटस के हक में निष्नपादित किया गया कि 5/6 हिस्से की रजिस्ट्री खरीददार अपीलांटस के हक मं निष्पादित कर दी गयी है एवंज ब श्रीमती सलीमा आयेगी तब बिना प्रतिफल के खरीददार के हक में उसके हिस्से की रजिस्ट्री करवा देगें । उक्त इकरारनामे पर विक्रेतागण के अतिरिक्त अकबर के भी हस्ताक्षर है । वादिया के पति अकबर की स्वीकृति एवं गवाही के अनुसार अपीलांटस संपूर्ण आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है । इसके बावजूद अकबर पुत्र करमा द्वारा अपीलांटस के हक में श्रीमती सलीमा के 1/6 हिस्से का विक्रय पत्र निष्पादित नही कर इकरारनामे के विपरीत जाकर श्रीमती सलीमा का 1/6 हिस्से का विक्रय पत्र बिना कब्जे के श्रीमती धापू पत्नि अकबर के पक्ष में निष्पादित करवा दिया तत्पश्चात् बिना कब्जे के ही बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश कर दिया । अधी0न्याया0 ने उक्त तथ्यों को गुणावगुण देखे बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि स्वंय अकबर द्वारा दिनांक 2.1.2006 को वादग्रस्त आराजियात बाबत् विद्वान सिविल न्यायाधीश (क0ख0) ब्यावर के समक्ष दीवानी वाद संख्या 6/2006 अकबर बनाम सुलतान वगैरह प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार एक ही विषयवस्तु बाबत् दो समानान्तर वाद संधारण योग्य नहीं है जिससे उक्त पश्चात्वर्ती वाद काबिल निरस्त योग्य है । अधी0न्याया0 ने वाद में 8 तनकियात कायम की लेकिन किसी भी तनकी को अपने निर्णय में कोई स्थान नहीं दिया जिससे उनके द्वारा पारित निर्णय आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होकर निरस्तनीय है । अतः अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रतिवादीगण/अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण अधी0न्याया0 को रिमाण्ड किया जावे ।

5. हमनें अपीलांटस के विद्वान अभिभाष की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । अपीलांट का कथन रहा है कि अधी0न्याया0 ने पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व कैम्प में रखकर अपीलांटस को साक्ष्य, सबूत एवं जिरह का अवसर प्रदान नहीं किया तथा न ही तनकीवार निर्णय पारित किया है । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर वाद में कुल 8 तनकियात कायम की जाकर वादिया/रेस्पो0 की साक्ष्य ग्रहण की गई एवं प्रकरण वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु दिनांक 24.2.2015 को नियत किया गया । दिनांक 13.1.2016 को प्रतिवादी/अपीलांट संख्या 1 द्वारा साक्ष्य बाबत् शपथ पत्र पेश किया गया जिसकी प्रति अभिभाषक वादिया/रेस्पो0 को दी गई तत्पश्चात् आगामी पेशी दिनांक 24.2.2016 को अभिभाषक वादिया द्वारा समय लिया गया । तत्पश्चात् दिनांक 283.2016 को पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त रहे एवं पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.7.2016 को पेश होने बाबत् आदेशिका अंकित की गई लंकिन पत्रावली दिनांक 19.7.2016 से पूर्व ही दिनांक 6.6.2016 को न्यायालय में रखकर कैम्प मालपुरा में दिनांक 20.6.2016 को पेश किये जाने के आदेश पारित किये गये । पत्रावली को कैम्प मालपुरा में रखे जाने के संबंध में पक्षकारान को नोटिस दिये जाने बाबत् आदेशिका में अंकन नहीं है न ही पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य है जिससे यह साबित हो कि पत्रावली को कैम्प में रखे जाने बाबत् प्रतिवादी/अपीलांट को कोई नोटिस जारी किया गया हो । इसके उपरांत अधी0न्याया0 ने पत्रावली को दिनांक 20.6.2016

को कैम्प में रखकर प्रतिवादीगण/अपीलांटस को वादी/रेस्पो0 से जिरह का अवसर दिये बिना प्रकरण को बिना तनकियात का विवेचन, विश्लेषण किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अधी0न्याया0 को वाद में तनकियात कायम किये जाने के उपरांत पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रत्येक तनकी पर विवेचन, विश्लेषण कर निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर जा0दी0 के आदेश 20 नियम 5 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

6. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.6.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांटस/प्रतिवादी को जवाब, साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को तनकीवार निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

7. निर्णय आज दिनांक 8.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**